एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

जासं, श्रावस्ती : एनडीपीएस एक्ट के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न कर पाने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस(नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ) एक्ट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी लूची को भिनगा कोतवाली पुलिस ने भिनगा-सिरसिया मार्ग पर स्थित अंटा तिराहा के पास से जंगल में सात जून 2012 की रात में गिरफ्तार किया था।

तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।